## प्ररूप एम.पी.एम.व्ही.आर. 20 (सी.आर.टेम.ए.)

## [नियम 45 (1) देखिए]

अस्थाई रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन-पत्र

	1.	पूर्ण नाम, पिता या पित का नाम और रजिस्ट्रीकृत स्वामी के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने वाले व्यक्ति की
	•	чат
	2.	रजिस्ट्रीकृत स्वामी के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने वाले व्यक्ति की आयु
	3.	उस व्यक्ति का नाम व पता जिससे यान क्रय किया गया है
	4.	क्रय करने की तारीख
	5.	निर्माता का नाम
	6.	गाउ का त्या
	7.	बॉडी का प्रकार
	8.	विक्रियां का वर्ष
	9.	सिलिंडरों की संख्या
	10.	अश्व शक्ति
	11.	निर्माता वर्गीकरण या यदि ज्ञात न हो तो चक्राधार
	12.	चेसिस क्रमांक
	13.	इंजन क्रमांक
	14.	बैठक क्षमता
	15.	बिना लदा भार
	16.	पूर्व का रजिस्ट्रीकरण तथा रजिस्ट्रीकरण क्रमांक का विवरण (यदि कोई हो)
	17.	मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि यान भारत के किसी भी राज्य में रजिस्ट्रीकृत नहीं है। (अतिरिक्त
		विवरण मोटरकार से भिन्न केवल परिवहन यान की दशा में ही पूर्ण किए जाएं)
	18.	बाहरी, बाजू तथा सामने की ओर का/ के रंग
	19.	वह स्थान जहाँ पर यान ले जाना प्रस्तावित है
	20.	स्वामी के उस स्थान का पता जहाँ पर यान ले जाना प्रस्तावित है
	21.	केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के प्ररूप 21 में विक्रय का प्रमाण पत्र
	22	. मैंने फीस के रुपएरसीद क्रमांक लुक क्रमांक
		कोषालयद्वारा संदत्त कर दिए हैं।
तार	ीख	199
		आवेदक के हस्ताक्षर